रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2015/आषाढ़ 30, 1937
No. 455] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2015/ASADHA 30, 1937

कार्मिक, लोक षिकायत तथा पेंषन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015

नियमावली

सा.का.नि. 565(अ).—निम्नलिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी ग्रेड और आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2015 के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मिलित सीमित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

वर्ग I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग II

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का अनुभाग अधिकारी ग्रेड (समेकित ग्रेड II और III)

वर्ग III

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IV

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का निजी सचिव ग्रेड

वर्ग V

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-I

वर्ग VI

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड 'क' तथा 'ख'

वर्ग VII

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग VIII

आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IX

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निजी सचिव ग्रेड

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा।

3. नीचे कालम 1 में उल्लिखित ग्रेड ओर सेवाओं के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो संबद्ध वर्ष की पहली जुलाई को कालम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि और शैक्षिक योग्यता, आदि से संबंधित शर्तें पूरी करते हैं, कालम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

<u>पात्रता निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि</u>

1 जुलाई, 2015 2015 की परीक्षा के लिए

कालम 1	कालम 2	कालम 3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक ग्रेड (आशुलिपिक ग्रेड 'ग')	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हो। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के वैयक्तिक सहायक के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष हो।	**वर्ग I**
भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' सामान्य संवर्ग का ग्रेड-IV, आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-II और साईफर उप संवर्ग का ग्रेड-II	भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के ग्रेड-IV में अथवा आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II अथवा साइफर उप संवर्ग के ग्रेड-II में अथवा ऊपर के दोनों में या सभी ग्रेडों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग II**
रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग-III**
केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता प्राप्त हो।	**वर्ग-IV**

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-II	भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग-V**
सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग-VI**
रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग-VII**
आसूचना ब्यूरो का सहायक ग्रेड/आसूचना ब्यूरो की आशुलिपिक सेवा ग्रेड-II	प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अथवा एलडीसीई आधार पर, जैसी भी स्थिति हो अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो बशर्ते परीक्षा का आयोजन निर्णायक तारीख से 5 वर्ष पूर्व न हुआ हो अथवा निर्णायक तारीख को अपने संबद्ध फीडर ग्रेड में वरिष्ठता के आधार पर ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों के मामले में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग-VIII**
कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निजी सचिव	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग-IX**

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई उम्मीदवार (वर्ग-I परीक्षा तथा वर्ग-IV में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार को छोड़कर) उपरोक्त कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों में नियुक्त हो गया है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 5 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने निर्णायक तारीख तक कम से कम 4 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली है।

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई वर्ग-IV और वर्ग-IX की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला उम्मीदवार उपरोक्त कालम 1 में उल्लिखित ग्रेड में नियुक्त हो गया है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने निर्णायक तारीखों की कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली है।

टिप्पणी 1 : ऊपर के कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों ओर सेवाओं के वे स्थायी अथवा नियमित रुप में नियुक्त अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियत अवधि के लिए संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई सेवा कालम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के लिए अर्हक होगी।

परन्तु यह कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिन्हें संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" पर नियुक्त किया गया हो और जो कालम 1 में संदर्भित ग्रेडों तथा सेवाओं में कोई पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं रखते हैं।

टिप्पणी **2** : केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में नियुक्ति के लिए विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उस सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त कर लिए गए हों, वे वर्ग-I और वर्ग- IV के लिए परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी **3:** केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जो भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में प्रतिनियुक्ति पर हैं वे वर्ग-II और वर्ग-V के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

4. जो उम्मीदवार दोनों वर्गों के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र है तथा वह इस विकल्प का इस्तेमाल करता है तब उसे अपने आवेदन में उस वर्ग का वरीयतावार स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए वह पात्र है और विचार किए जाने का इच्छुक है। आयोग, आवेदक द्वारा पहले से प्रस्तुत वरीयता में किसी प्रकार का परिवर्तन/जोड़/बदलाव करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवार वर्ग संख्या का चयन सावधानी से करें क्योंकि संशोधन/गलत संयोजन पर विचार नहीं किया जाएगा/अनुमति नहीं होगी और उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। यह भी नोट करें कि किसी वर्ग के लिए किसी उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा यदि उसने अपने आवेदन पत्र में साफ-साफ इसका चयन नहीं किया है।

5. किसी भी उम्मीदवार का आवदेन स्वीकार करने तथा परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

7. जो उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए दोषी हैं अथवा आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:-

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रुप से कार्य कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए, किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(viii) उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) पर असंगत बातें लिखी हों, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(ix) परीक्षा भवन में किसी अन्य प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(x) परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(xi) परीक्षा के दौरान कोई मोबाइल फोन, पेजर या किसी अन्य प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्रों अथवा संचार यंत्र के रुप में प्रयोग किए जा सकने वाले कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, अथवा

(xii) उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए जारी प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, अथवा

(xiii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा कोई भी कार्य किया हो अथवा करने का प्रयास किया हो, उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे:-

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, और/या

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए:-

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक:-

(i) उम्मीदवार को भी इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न किया गया हो।

8. (i) परीक्षा के बाद, उम्मीदवारों की पात्रता की शर्त पर वर्ष, 2015 के लिए रिक्ति पर विचार किया जाएगा बशर्ते वे पात्र हों और प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंतिम औसत अंकों के प्रकटन के अनुसार योग्यता सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी बशर्ते वे आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा के प्रत्येक पेपर/भाग के स्तरों के अर्हता प्राप्त करते हों।

आयोग के पास परीक्षा के किसी या सभी स्तर (स्तरों) या पेपर (पेपरों) के लिए न्यूनतम अर्हक मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार है।

जहां उम्मीदवार औसत मेरिट के आधार पर एक से अधिक वर्ग में अन्यथा पात्र हों, कतिपय चयन सूची में उन्हें शामिल किया जाना उपयुक्त समय पर उम्मीदवार द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर उपलब्ध वर्ग पर निर्भर करेगा। अत:, उसके योग्यताक्रम के आधार पर, तथा रिक्ति तथा पात्रता की अन्य शर्तों के अध्यधीन उम्मीदवार की वरीयता को ध्यान में रखते हुए उसे उपयुक्त चयन सूची में रखा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार का नाम किसी विशिष्ट वर्ग के लिए चयन सूची में शामिल किया जाता है, तो उनकी बाद की वरीयताओं के आधार पर अन्य सूची (सूचियों) में शामिल करने हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

वर्ग-वार योग्यताक्रम सूचियां रिक्तियों की संख्या, उम्मीदवार का योग्यताक्रम, उम्मीदवार द्वारा दर्शाई गई वरीयता तथा अन्य पात्रता शर्तों, यदि कोई हों, के आधार पर तैयार की जाएंगी।

(ii) किसी भी अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक आयोग द्वारा मानक में छूट देकर सिफारिश की जा सकती है बशर्ते ये उम्मीदवार प्रत्येक वर्ग की चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त हों चाहे परीक्षा के योग्यताक्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो।

परन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में अर्हता या चयन मापदंडों में रियायत/छूट दिए बिना की जाती है, उनका समायोजन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा।

नोट:- उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रुप से समझ लेना चाहिए कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। अत: कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

9. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा । आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

10. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से पात्र और योग्य है।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

11. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा किसी और कारण से सेवा छोड़ देता है अथवा उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में 'स्थानान्तरण' पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/आसूचना ब्यूरो/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक ग्रेड अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'ग'/आसूचना ब्यूरो आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II अथवा भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में किसी पद पर उसका अपना पुनर्ग्रहण अधिकार नहीं है तो वो इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर दिया गया है।

[फा. सं. 6/1/2015–सीएस–I(पी)]

अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार ली जाएगी:-

भाग I

(क) नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा।

(ख) हिन्दी या अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट की एक अर्हक आशुलिपिक परीक्षा।

टिप्पणी I - वर्ग IV, V, VI, VII और IX हेतु प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय अर्हक आशुलिपि परीक्षण देना होगा। तथापि, जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के साथ-साथ आशुलिपिक परीक्षण में भी अर्हता प्राप्त कर लेते हैं केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सेवा रिकार्ड का मूल्यांकन किया जाएगा।

टिप्पणी II - उम्मीदवारों को आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र पर मुहैया कराए गए कम्प्यूटरों (पीसी) पर अपनी आशुलिपि टिप्पणियों का लिप्यंतरण करना होगा।

भाग II

उन उम्मीदवारों के सेवा अभिलेख का अधिकतम 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा:-

(i) जिन्होंने लिखित परीक्षा में, आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं (वर्ग I, II, III और VIII के लिए) और

(ii) जिन्होंने लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि परीक्षण में आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं (वर्ग IV, V, VI, VII और IX के लिए)।

टिप्पणी I: सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में अर्जित अंकों की गणना रैंक निर्धारण हेतु की जाएगी।

टिप्पणी II: सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में न्यूनतम 40% (चालीस प्रतिशत) अंक होने चाहिए। इसलिए, सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में 40% (चालीस प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम पर रैंक निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

2. सेवा के विभिन्न वर्गों के प्रतियोगी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की लिखित परीक्षा में बैठना होगा:-

पेपर संख्या	विषय	पेपर का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि
1.	भारत के संविधान और सरकारी तंत्र, संसद की परिपाटी और कार्य का सामान्य अध्ययन और सामान्य जानकारी तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
2.	सेवा की संगत श्रेणियों की आवश्कता को विधिवत ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया और परिपाटी तथा सामान्य वित्तीय एवं सेवा नियमावली	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
3.	टिप्पण एवं प्रारूपण, सार लेखन	विस्तृत	200	3 घंटे
	सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन		100	

कुल अंक - 600

3. **गलत उत्तरों के लिए शास्ति (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में)**

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा अंकित किए गए गलत उत्तरों के लिए शास्ति (ऋणकारात्मक अंकन) लगाई जाएगी।

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न के लिए निर्दिष्ट अकों में से एक तिहाई (0.33) अंकों की कटौती की जाएगी।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिए गए उत्तरों मे से एक सही भी हो तथा उस प्रश्न के लिए भी उपर्युक्त शास्ति होगी।

(iii) यदि कोई प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी।

4. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, अनुसूची में दर्शाए जाएंगे।

5. उम्मीदवारों को टिप्पण एवं प्रारूपण और सार लेखन का उत्तर हिंदी (देवनागरी) या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। सभी तीनों प्रश्नपत्र/परीक्षण पुस्तिकाएं अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में होगी।

टिप्पणी 1:- टिप्पण एव प्रारूपण तथा सार लेखन पेपर के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने के विकल्प का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन के संगत कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में परिवर्तन करने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2:- प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, हिन्दी की शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय भी कोष्ठक में दे सकते हैं।

टिप्पणी 3:- यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किए गए माध्यम से इतर माध्यम का परीक्षा में उत्तर लिखने में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

6. अंग्रेजी/हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट का श्रुतलेख शामिल है जिसे उम्मीदवारों को 40/55 मिनट में लिप्यंतर करना होगा।

7. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों का सभी तीन पेपरों में सम्मिलित होना आवश्यक है। आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंकन निर्धारित कर सकता है।

9. केवल सतही ज्ञान के लिए नम्बर नहीं दिए जाएंगे ।

10. लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक अस्पष्ट लिखावट के लिए काट लिए जाएंगे।

11. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और कम से कम शब्दों में ठीक ठीक की गई हो।

12. उम्मीदवार को पेपर-III के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठयक्रम

जहां नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

पेपर – I

पेपर में आजकल की रूचि और महत्व के विषय शामिल किए जाएंगे। प्रश्नों में पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं, भारतीय अर्थ-व्यवस्था और प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की मौजूदा घटनाओं के प्रति अभिज्ञ जागरूकता की भी जांच शामिल होगी।

निम्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी की भी अपेक्षा है :

(i) भारतीय संविधान के सिद्धांत

(ii) लोक सभा और राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्यवाही की नियमावली।

(iii) भारत सरकार के तंत्र का संगठन, मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पदनामों और विषयों का आंबटन तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध।

(iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पेपर – II

इस पेपर का उद्देश्य है भारत सरकार के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली का गहन तथा विस्तृत परीक्षण लेना। सामान्य वित्तीय और सेवा नियमावली अर्थात् आचरण नियमावली, अवकाश नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली आदि के विस्तृत ज्ञान की जांच की जाएगी। संदर्भ पुस्तिकाओं की सूची (जो संपूर्ण नहीं है) की अनुशंसा की जाती है।

(वर्ग I, IV, VIII और IX के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)

2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका (केवल वर्ग I और IV के लिए)

4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली

7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली

8. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली

9. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) नियमावली

10. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली

11. आसूचना ब्यूरो स्थायी आदेश (केवल वर्ग VIII के लिए)

(वर्ग II और V के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)

2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका

4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन स्वामी संकलन)

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली

7. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) नियमावली

8. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली

9. भारतीय विदेश सेवा (पी एल सी ए) नियमावली

10. भारत सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार

11. सहयोग प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना।

12. भारतीय विदेश सेवा (आचरण एवं अनुशासन) नियमावली

(वर्ग III और VII के लिए)

1. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका

2. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका

3. भारतीय रेल प्रशासन तथा वित्त (अध्याय V, VI, VIII तथा IX को छोड़कर)

4. भारतीय रेल वित्तीय कोड खंड I (अध्याय II तथा VI को छोड़कर)

5. भारतीय रेल स्थापना कोड खंड-I

6. रेल सेवा (आचरण) नियमावली, 1966

7. रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1968

(वर्ग VI के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)

2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

3. संघ के सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका

4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन स्वामी संकलन)

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली

7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली

8. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली

9. वित्तीय विनियम भाग-I (संशोधित संस्करण)

<u>पेपर - III</u>

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट समस्याओं पर टिप्पण और प्रारूपण तथा अवतरण से संक्षेपण तैयार करें ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July 2015

RULES

G.S.R. 565(E).—The rules for a Combined SOs'/Stenographers' (Grade B'/ Grade-1) Limited Departmental Competitive Examination for the year 2015 to be held by the Union Public Service Commission, for additions in the Select Lists for the Section Officers' Grade and Stenographers' (Grade 'B'/Grade-I) of the Services mentioned below are, with the concurrence of the Ministries concerned, published for general information.

Category I

Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service.

Category II

Section Officers' Grade (Integrated Grade II & III) of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'

Category III

Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service

Category IV

Private Secretary Grade of the Central Secretariat Stenographers' Service.

Category V

Grade I of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service, Branch B'

Category VI

Grade 'A' & 'B' merged of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

Category VII

Grade 'B' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

Category VIII

Section Officers' Grade of the Intelligence Bureau.

Category IX

Private Secretary Grade in Employees' State Insurance Corporation

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Permanent or regularly appointed temporary Officers of the Grade and Services mentioned in column 1 below who on 1st July of the year satisfy the conditions regarding length of service and educational qualification etc. mentioned in column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in column 3.

Crucial date for eligibility

1st July, 2015 for 2015 Examination

Column 1	Column 2	Column 3
Assistants' Grade of the Central Secretariat Service and Personal Assistants' Grade (Stenographers Grade C) of the Central Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved Service and shall also have earned at least four Annual Performance Appraisal Reports in the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service or Personal Assistants' Grade of the Central Secretariat Stenographers' Service. Personal Assistants of CSSS shall possess a Bachelor's Degree of a recognized University or equivalent.	**Category I**
Grade IV of the General Cadre, Grade-II of the Stenographer Cadre and Grade II of The Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'	Not less than 5 years' approved and continuous Service in Grade IV of the General Cadre or in Grade II of the Stenographers' cadre or in Grade II of the Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B' or in two or all the above grades as the case may be.	**Category II**
Assistants' Grade of Railway Board Secretariat Service and Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous Service in the Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service or in Grade ll/ Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	**Category III**
Personal Assistant of the Central Secretariat Stenographers' Service	Not less than 3 years' approved and continuous service in Personal Assistants' Grade of the Central Secretariat Stenographers' Service and shall possess a Bachelor's Degree of a recognized University or equivalent.	**Category IV**
Grade II of the Stenographers' cadre of the Indian Foreign	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II of the	**Category V**

Service, Branch 'B'	Stenographers' cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'	
Grade C of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service	Not less than 3 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.	**Category VI**
Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/ Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	**Category VII**
Assistants' Grade of I.B./Stenographers' Service Grade II of I.B.	Permanent or regularly appointed temporary Assistants/ Stenos Gr.II (P.A.s) of the I.B. with not less than 4 years' approved and continuous Service in the case of Officers appointed in the grades on the basis of Competitive Exam or LDCE as the case may be, provided that the exam should have been held not less than 5 years before the crucial date, or not less than 5 years of approved and continuous service in the case of Officers appointed in the grades on the basis of seniority in their respective feeder grades as on the crucial date of the examination year.	**Category VIII**
Private Secretary in Employees' State Insurance Corporation	Not less than 3 years' approved and continuous service in Personal Assistants Grade in Employees' State Insurance Corporation.	**Category IX**

.

Provided that in the case of a candidate (except a candidate appearing for Category I examination and a candidate for the Category IV) who had been appointed to the Grades mentioned in column 1 above on the result of a Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than 5 years before the crucial date and he should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that grade on the crucial date.

Provided that in the case of a candidate appearing for Categories IV and IX examination who had been appointed to the Grade mentioned in column 1 above on the result of a Competitive Examination including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than 3 years before the crucial date and he/she should have rendered not less than 2 years approved and continuous service in that grade on the crucial date.

Note 1. Permanent or regularly appointed officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who are on deputation to ex-cadre posts for a specified period with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible and the service rendered by them during the period of deputation will qualify towards the length of service mentioned in column 2.

This however does not apply to the officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who have been appointed to ex-cadre posts or to another Service on "transfer" and do not have a lien in the Grades and Services referred to in Column 1.

Note 2 - Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who have opted for appointment to the Indian Foreign Service, Branch'B' and have been appointed to any Grade of

that Service in pursuance of such option shall not be eligible for admission to the examination for Categories I and IV.

Note 3 - Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who are on deputation to the Indian Foreign Service, Branch 'B' shall not be eligible for admission to the examination for Categories II and V.

4. A candidate, who is eligible to compete for two categories and who exercises this option, should specify clearly in the Application the categories for which he/she is eligible and wishes to be considered in the order of preference. No request for any change/addition/ alteration in the preference already indicated by a candidate in his/her application will be entertained by the Commission. Candidates may also take care to choose Category No. correctly, as corrections/incorrect combination will not be considered/allowed and may lead to summary rejection of the candidates. It may also be noted that a candidate will not be considered for any category that he/she has not specifically chosen in the application form.

5. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the Examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :-

(i) Obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the commission for the conduct of their examination, or

(xi) being in possession of or using any mobile phone, pager or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination, or

(xii) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them go take the examination, or

(xiii) attempting to commit or, as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :-

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period-

(i) by the Commission from any examination or selection held by them ;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules. Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after-

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf ; and

(ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him, into consideration.

8. (i) After the examination, candidates shall be considered for vacancies in the year 2015 subject to their eligibility and will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate subject to qualifying standards for each paper/part of the examination as decided by the Commission.

The Commission reserves the right to fix minimum qualifying standards for any or all stage(s) or paper(s) of the Examination.

Where a candidate would have otherwise qualified on the basis of aggregate merit/marks in more than one category, his/her inclusion in a particular select list will depend on the category that becomes available based on the candidate's choice exercised at the relevant time. Therefore, based on his/her merit, and subject to vacancy position and other eligibility conditions, a candidate will be placed in the appropriate select list factoring his/her preference. If a candidate's name is included in the select list for a particular category, his/her name will not be considered for inclusion in other list(s) on the basis of his/her lower preferences.

Category-wise merit list will be made based on number of vacancies, candidate's merit, the preference indicated by the candidate and other eligibility conditions, if any.

(ii) The candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent of the number of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes be recommended by the Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List for each category irrespective of their ranks in the order of merit at the examination :

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who have been recommended by the Commission without resorting to any relaxations/ concessions in the eligibility or selection criteria, at any stage of the examination, shall not be adjusted against the vacancies reserved for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Note:- Candidate should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this Examination as a matter of right.

9. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

10. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection :

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

11. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistants' Grades of the Central Secretariat Service/Railway Board Secretariat Service/I.B./Armed Forces Headquarters Civil Service or Stenographer Grade-C of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers'

Service/Grade ll of I.B Stenos Service or any post in the Indian Foreign Service, Branch 'B' will not be eligible for appointment on the result of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

[F. No. 6/1/2015-CS-I(P)]

ARCHANA VARMA, Jt. Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :-

Part I

(a) Written examination carrying maximum of 500 marks in the subjects as shown in para 2 below.

b) A qualifying Shorthand test in Hindi or English at 100 w.p.m.

Note I- All the candidates competing for Categories IV, V, VI, VII and IX will be required to take qualifying shorthand test at the time of the written examination. However, evaluation of record of service will be done of only those candidates who qualify both in the written examination as well as in the Shorthand Test.

Note II. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on Computers (PCs) which will be provided at the Examination centre by the Commission.

Part II

Evaluation of record of service carrying a maximum of 100 marks of candidates:-

(i) who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion (for categories I, II, III and VIII); and

(ii) who obtain such minimum qualifying marks in the written examination and the shorthand test as may be fixed by the Commission in their discretion (for Categories IV, V, VI, VII and IX).

Note 1: Marks obtained in evaluation of record of service will be counted for ranking;

Note 2: There shall be a minimum of 40% (forty percent) marks in the evaluation of record of service. Therefore, such candidates who obtain less than 40% (forty percent) marks in the evaluation of record of service will not be considered for ranking.

2. The subjects, in which the candidates competing for different categories of services will be required to take the written examination, will be as follows:--

Paper No.	Subject	Type of Paper	Max. Marks	Duration
1	General Studies & General Knowledge of Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedures in Parliament and Knowledge of RTI Act, 2005.	Objective	150	2 Hrs.
2	Procedure and Practice in the Govt. of India Secretariat and attached offices and General Financial and Service Rules duly taking into account the requirement of relevant categories of services.	Objective	150	2 Hrs.
3	Noting and Drafting, Precis writing	Subjective	200	3 Hrs.
	Evaluation of record of Service		100	

Total Marks - 600

3. **Penalty for wrong answers (in Objective Type Papers)**

THERE WILL BE PENALTY (NEGATIVE MARKING) FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.

(i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one third (0.33) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.

(iii) If a question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

4. Syllabi for the Examination will be as shown in the schedule.

5. Candidates are allowed the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper either in Hindi (Devanagari) or in English. All the three question papers/test booklets will be set both in Hindi and English.

Note 1: Candidates desirous of exercising the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in relevant column of on-line Application Form; otherwise it would be assumed that they would answer the aforesaid paper in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

Note 2: Candidates exercising the option to answer the paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

Note 3: If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used to write the answer in the examination, the paper of such candidates will not be evaluated.

6. The shorthand test in English/Hindi would comprise dictation test at the speed of 100 words per minute of ten minutes which the candidate will be required to transcribe in 40/55 minutes.

7. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

8. Appearance of candidates in all the three papers is a must for qualifying in the examination. The commission has the discretion to fix minimum qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Deduction upto 5% of the maximum marks in the written subject will be made for illegible handwriting.

11. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the subjective paper.

12. Candidates should use only international form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering Paper - III.

SCHEDULE

Syllabi for examination

WHERE KHOWLEDGE OF THE RULES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC. IS REQUIRED, CANDIDATES WILL BE EXPECTED TO BE CONVERSANT WITH AMENDMENTS ISSUED UP TO THE DATE OF NOTIFICATION OF THIS EXAMINATION.

PAPER – I

The paper will cover subjects of interest and importance in the present day. Questions will be set to test knowledge of the broad salient features of the Five Year Plans, Indian Economy and major Developmental Schemes as also intelligence awareness of current affairs both national and international.

A broad knowledge of the following aspects will also be expected :

(i) The principles of the Constitution of India

(ii) Rules of procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and Rajya Sabha

(iii) The organization of the machinery of the Govt. of India, Designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached & Subordinate Offices and their relation inter se.

(iv) RTI Act, 2005.

PAPER - II

This paper is intended to be intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. Detailed knowledge of General Financial and Service Rules viz., Conduct Rules, Leave Rules, TA Rules etc. will be tested. A list of Reference Books (which are however not exhaustive) are recommended -

(for Category I, IV,VIII & IX)

1. Manual of office procedure (latest edition)
2. Notes on office procedure issued by the Institute of Secretarial Training and Management.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Home Affairs. (for Category I & IV only)
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.
6. The Central Civil Services (Conduct) Rules.
7. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
8. Central Civil Service (Leave) Rules.
9. Compilation of the General Financial Rules, (Revised and Enlarged).
10. Delegation of Financial Power Rules.
11. Intelligence Bureau Standing Orders (for Category VIII only).

(for Category II & V)

1. Manual of office procedure (latest edition).
2. Notes on office procedure issued by the I.S.T.M.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Min. of Home Affairs.
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P. & T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.
6. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
7. Compilation of the General Financial Rules (Revised and enlarged).
8. Delegation of Financial Power Rules.
9. Indian Foreign Service (PLCA) Rules.
10. Financial Powers of Government of India's Representatives abroad.
11. Assisted Medical Attendance Schemes.
12. Indian Foreign Service (Conduct and Discipline) rules.

(for Category III & VII)

1. Manual of Office Procedure issued by the Min. of Railways (Railway Board).
2. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Min. of Home Affairs.
3. Indian Railway Admn. and Finance (excluding Chapters V, VI, VIII & IX).
4. Indian Railway Financial Code Vol. I (excluding Chapter II and VI).
5. Indian Railway Establishment Code Vol. I.
6. The Railway Services (Conduct) Rules, 1966.
7. The Railway Servants (Discipline and Appeal) Rule, 1968.

(for Category VI)

1. Manual of office procedure (latest edition).
2. Notes on office procedure issued by the Institute of Secretarial Training and Management.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Home Affairs.
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.
6. The Central Civil Services (Conduct) Rules.
7. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
8. Central Civil Service (Leave) Rules.
9. Financial Regulations Part I (Revised Edition).

PAPER – III

Candidates are required to prepare notes and drafts on specific problems and précis from a passage

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.